न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 87/2023

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय जयपुर एवं ब्रांच मैन दौसा जिला दौसा राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह।

...प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाश चन्द बैरवा पुत्र श्री रणजीत बैरवा निवासी प्लॉट नं0 262, खसरा नंबर 14, डोरिया कॉलोनी, गणेशपुरा, दौसा राजस्थान–303303 राजस्थान

(ऋणी व सह ऋणी)

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 (केन्द्रीय धारा 54/2002)

उपस्थित : श्री मक्खन लाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी इंडियन बैंक, ने अप्रार्थी/ऋणी को 11,00,000/–(रूपये ग्यारह लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी इंडियन बैंक को सुना गया। हमने प्रार्थी इंडियन बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी इंडियन बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई संपत्ति **Plot at 262 khasra no. 14, Doriya colony, Ganesh Pura Dausa 137.50 Sq.yard in the name Kailash Chand Bairwa S/0 Ranjeet Bairwa (Owner of the property)** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी इंडियन बैंक को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक28फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:49:37 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा